

(b) if so, the time by which it is likely to be increased; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF (PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (c) There is no such proposal at present, in view of the restricted availability of LPG and the huge waiting list.

सुन्दर राजन समिति की सिफारिशें

*150. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेटमलानी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सुन्दर राजन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, यदि हां, तो कब;

(ख) क्या समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात-मुक्त आयात और निर्यात तथा घरेलू बाजार में इनके मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के समान स्तर पर लाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों हेतु देश में खुले बाजार की व्यवस्था की जाए;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में कई पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्यों से अधिक हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे पदार्थों के नाम क्या हैं और सरकार ने सुन्दर राजन समिति की उक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) जी, हां। रिपोर्ट फरवरी, 1995 में प्राप्त की गई थी।

(ख) से (घ) सुन्दर राजन समिति रिपोर्ट, राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्संरचना के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधन तथा शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के अग्रणी विशेषज्ञ सदस्यों को लेकर तैयार किए गए 'नीति निर्धारण योजना दल' के लिए प्रारम्भिक सामग्री है। नीति निर्धारण दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

मध्य प्रदेश में उपयोगी वृक्ष काटने की स्वीकृति

*151. श्री शिवप्रसाद चनपुरिया: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश शासन ने नीम और महुआ जैसे उपयोगी वृक्षों को काटने की आम स्वीकृति दे दी है जबकि महुआ तो गरीब और विशेषकर आदिवासियों की खुराक हेतु फल देते हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में नीम जैसे उपयोगी वृक्ष को काटने की स्वीकृति देकर औषधीय भण्डार तथा कृषि खाद का विनाश करने तथा ऐसे वृक्षों को काटने की स्वीकृति देकर व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का औचित्य क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को इन वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की सलाह देगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पेड़ों की कटाई के लिए कोई सामान्य स्वीकृति प्रदान नहीं की है। दिनांक 10 नवम्बर, 1994 की अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार ने 31 वृक्ष प्रजातियों की इमारती लकड़ी और जलावन की लकड़ी के पारगमन को पारगमन पत्र से छूट दी है। नीम और महुआ अधिसूचना में शामिल नहीं हैं। अधिसूचना में शामिल अधिकांश वृक्ष प्रजातियों से इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी मिलती है या फिर वे सजावटी किस्म के हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Infiltration of Militants Through Border

152. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether according to intelligence reports militants have planned to infiltrate in groups through the borders of Jammu and Kashmir, Punjab and Rajasthan;

(b) whether it is a fact that militants have planned to attack the major cities of U.P., J&K, Punjab and Rajasthan;